न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 114 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. टीकमाराम पुत्र रूपाराम
2. कलाराम पुत्र रूपाराम
3. रिधु पत्नी किताराम जाति जाट निवासी डूंगराणियों की ढाणी (सवाऊ पदमसिंह) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर (राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मोतीराम पुत्र मूलाराम
2.हेमाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी डूंगराणियों की ढाणी (सवाऊ पदमसिंह) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर (राज.)
3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 77 / 2012 बअनवान मोतीराम वगै. बनाम टीकमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 17.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 व 02 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0का0अधि0 का इस आशय का पेश किया कि ग्राम डूंगराणियों की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा सख्या 792 / 57 रकबा 14.19 बीघा व खसरा संख्या 57 रकबा 14.18 बीघा मूल खसरा संख्या 57 रकबा 34.17 बीघा का आया हुआ है। उक्त खसरे की भूमि वादीगण / रेस्पोडेंट के नाम वक्त सेटलमेंट रकबा 34.17 बीघा दर्ज होना चाहिये था जबकि सेटलमेंट वालों की भूल से रकबा 30.07 बीघा खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार 04.10 बीघा भूमि अपीलांट संख्या 01 व 02 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 54 रकबा 254.05 बीघा के साथ जुड़ गया, जो गलत रूप से सेटलमेंट वालों की भूल से जोड़ा गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर दिनांक 28.05.2014 को आवेदन आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.04.2018 को एकतरफा खारिज कर दिया। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नियुक्त अधिवक्ता ने अपीलाधीन वाद में का न तो जबावदावा दिया और न ही सही ढंग से पैरोकारी की बल्कि पत्रावली मे एकतरफा कार्यवाही कर न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम शहर में प्रस्तुत की गई उसके बाद उक्त वाद में दिनांक 09.07.2019 को वाद व उसके गवाहन के बयान लिये गये और एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध व एकतरफा पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने सेटलमेंट की भूल बताकर करीबन 43 वर्षो के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया है जो वाद युक्तियुक्त समय के अन्दर पेश नहीं करने से परिसीमा से बाहर है। उतरदाता ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न तो खसरा बन्दोबस्त की नकल पेश की और न ही खसरा गिरदावरी की नकल पेश की और न ही कोई लगान अदा करने की रसीदें ही पेश की। कवल मौखिक साक्ष्य व मौका रिपोर्ट के आधार पर करीबन 43 वर्षो बाद खातेदारी अधिकारी प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पत्रावली कायम कर मौका देखने की तारीख निश्चित कर तहसीलदार गिड़ा ने अपीलांटगण को कोई नोटिस नहीं दिया। मौका रिपोर्ट तहसीदार की उपस्थिति में नहीं बनाई गई। अपीलाधीन निर्णय एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया। ग्राम डूंगराणियों की ढाणी का खसरा संख्या 57 रकबा 30.07 बीघा मोतीराम, हेमाराम पिसरान मूलाराम जो इस प्रकरण में उतरदाता है। उनके भाई धनाराम, किशनाराम, पीराराम पिसरान मूलाराम जाति जाट निवासी डूंगराणियों की ढाणी भी मूल उपरोक्त खसरे में सह–खातेदार दर्ज थे और सेटलमेंट में भी उपरोक्त खसरे की भूमि उनके पिता मूलाराम के नाम से दर्ज चली आ रही थी। उपरोक्त सम्पूर्ण खसरे में उपरोक्त सभी सह खातेदार हितबद्ध आवश्यक पक्षकार थे। उन्हं पक्षकार बनये बिना, हस्तगत वाद चलने योग्य नहीं है। उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा अपने गवाहान के मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र पेश किया है जिस शपथ–पत्र पर अंकित हस्ताक्षरों को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है और न ही गवाहान को अधीनस्थ न्यायालय में शपथ दिलवाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात जैसे जमाबन्दी, नक्शा और मौका रिपोर्ट आदि पर प्रदर्शित अंकित नहीं होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पेशी तारीख नहीं बताई गई तथा कहा गया कि न्याय आपके द्वारा अभियान की तैयारी चल रही है। अभियान के पश्चात पेशी दी जायेगी तथा उक्त कार्यवाही के दौरान पेशी तारीख दिनांक 30.5.2018 को ओवर राईटिग कर पेशी तारीख 23.04.2018 रखकर अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति लगाकर एकतरफा कार्यवाही की गई है, गलत कार्यवाही की गई जिसका ज्ञान अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता को नहीं हो सका। अपीलांट के अधिवक्ता ने लापरवाही व असावधानी बरती जिसके लिये अपीलांटगण को दण्डित नहीं किया जा सकता है। अपीलांट को वाद का जबाबदावा प्रस्तुत करने का और उतरदाता के गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान करने और अपीलांट द्वारा साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवार प्रदान करना आवश्यक, न्याय संगत है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

CCC (S.C.) 2019(3) Page 117
RRT 2019(1) Page 745
RRT 2014(2) Page 1356
RRT 2015(2) Page 1077

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी भू–प्रबंध के खातेदार स्व. मूलाराम थे, उनके देहान्त के पश्चात यह आराजी उसके पुत्रों मोतीराम, हेमाराम, धन्नाराम, किशनाराम व पीराराम को विरासत में प्राप्त हुई। अपीलांट को प्रारम्भ से ही ज्ञान था कि अपीलाधीन आराजी उतरदातागण की ही है मौके पर उन्हीं का कब्जा है। अतः उन्होंने वाद को लम्बा करते हुए दिनांक 09.07.2012 से 10.04.2018 तक छः साल की अवधि समाप्त होने तक जबाबदावा पेश नहीं किया, केवल आवेदन पेश कर व अवसर लेकर छः साल व्यतीत कर दिये। विचरण न्यायालय द्वारा ने मौका रिपोर्ट मंगवाई थी जो जिसमें प्रतिवादी/अपीलांट की मौके पर उपस्थित होना बताया है साथ ही प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उनके खेत खसरा संख्या 54 का रकबा 04.10 बीघा पडौसी खसरा संख्या 62 में चला गया है जिसे दुरस्त किया जाये ताकि उनके खेत खसरा संख्या 54 का रकबा भी सही हो सकें और इस तथ्य को सभी उपस्थित लोगों ने सही माना व मौके पर दोनों पक्षों के कब्जे की माठे भी इसी अनुसार होना मौका रिपोर्ट में दर्ज किया है जो नक्शा बना है उसमें भी दोनों पक्षों के कब्जे मौका रिपोर्ट के अनुरूप बताये है। राजस्व अभियान के समय पत्रावली कैम्प कोर्ट की तारीखे निश्चित कर कैम्प पर रखी गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

थी तथा इसकी सूचना पूर्व में जारी कर दी थी जिसकी जानकारी अपीलांट की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामले के निस्तारण में सबसे अहम आधार मौका फर्द है। इस मौका फर्द में वादीगण का कब्जा प्रतिवादीगण के खेत खसरा संख्या 54 में तथा प्रतिवादीगण का उतने ही रकबे पर कब्जा पड़ौसी खसरा संख्या 62 में पृथक–पृथक रंगों से दिखाया जाकर प्रतिवेदित हुआ है। वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ तो प्रतिवादीगण के खेत में उनके कब्जे वाली भूमि देकर अपीलाधीन निर्णय में दे दी है। प्रतिवादीगण का उतनी ही भूमि पर कब्जा खसरा संख्या 62 पर प्रतिवेदित है इसलिए उनको खसरा संख्या 62 के खातेदारों के विरूद्ध इसी प्रकृति का दावा लाना चाहिए या उन्हें भी इस मामले में सुना जाना चाहिए। हस्तगत मामले में निर्णय एकतरफा एवं बिना प्रतिवादीगण/अपीलांट को सम्यक सूचना के तारीख पेशीयों में काट–छांट कर तब्दीली करके कैम्प कोर्ट में रखा जाकर किया गया है जो निश्चित रूप से खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 77/2012 बअनवान मोतीराम वगै. बनाम टीकमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2018 को निरस्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 13.06.2015 के संदर्भ में सभी आवश्यक पक्षकारों को सम्यक तामील पश्चात सुनवाई करते हुए विधि सम्मत निर्णय पुनः पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

17/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner